भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2950

(जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण, 1947(शक) को दिया जानाहै)

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन

2950. श्री एस. निरंजन रेड्डीः
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 और 2025 के बीच राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने एनआईपी के लिए वर्ष 2020 की कार्यबल रिपोर्ट में दी गई सिफारिश के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को लागू किया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) कार्यबल का गठन अवसंरचना परियोजनाओं, अनुमानित निवेश और वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए किया गया था। एनआईपी, सर्वोत्तम प्रयास आधार पर एक सम्पूर्ण सरकारी कवायद थी। एनआईपी एक गतिशील पाइपलाइन थी जिसमें परियोजनाओं और उनके विवरणों को केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर संशोधित, जोड़ा और हटाया जाता था। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने 9,978 एनआईपी परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, कार्यबल ने कई सिफारिशें भी दीं जिनमें अवसंरचना गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय रुपरेखा भी शामिल था। विभिन्न संस्थान, तंत्र, ढांचे जैसे कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, सक्रिय अभिशासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति), मूल्यांकन तंत्र (पीपीपीएसी, पीआईबी, ईएफसी, डीआईबी,

एसएफसी), और प्राधिकरण (एनएचएआई, एएआई, बंदरगाह प्राधिकरण आदि), और नियामक जैसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), विमानपत्त्न आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) आदि अवसंरचना गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय रुपरेखा हेतु कार्यबल द्वारा परिकल्पित कुछ या सभी भूमिकाएं निभाते हैं।

****